प्रेस विज्ञप्ति दिनॉक 09.06.2024* *जनपद – संतकबीरनगर

पीआरवी 1485 द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल–
पीआरवी 1485 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत नेदुला चौराहा से इवेन्ट संख्या 32788 से कालर द्वारा सड़क मार्ग पर वाहन दुर्घटना में 02 व्यक्तियों (अनिल कुमार पुत्र दुधनाथ निवासी ग्राम परसी 2. लक्ष्मी पत्नी रविन्द्र निवासी बेइली थाना कोतवाली जनपद बस्ती) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को एम्बुलेंस 108 की सहायता से इलाज हेतु जिला अस्पताल खलीलाबाद भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सुझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को इलाज हेतु अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।
***पीआरवी स्टाफ-* मु0आ0 राकेश साहनी, का0 लल्लन पासवान, हो0चा0 अम्बरीश यादव ।**

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

- ***थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 59 वाहनों से 83,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 09.06.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 59 वाहनों से 83,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा दुष्कर्म करने के मामले मे वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में *मिशन शक्ति अभियान* के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री राघवेन्द्र सिंह राठौर*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा*** मु0अ0स0 140/2024 धारा 323/342/376/504/506 भा0द0वि0 के मामले मे वांछित अभियुक्त जुनैद अहमद पुत्र निसार निवासी निघुरी थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को धोबहा चौराहा स्थित लकी ढाबा के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 06.06.2024 को वादिनी की पुत्री के साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गयी थी, जिसके संबंध में वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर आज दिनांक 09.06.2024 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्रभारी निरीक्षक श्रीमती सरोज शर्मा, उ0नि श्री लाल बिहारी निषाद, हे0का0 शम्स तबरेज सिद्दीकी, का0 रविन्द्र निषाद।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए हत्या के मामले में वांछित 02 अभियुक्तों को 01 अदद तमंचा .315 बोर, 18 अदद खोखा कारतूस, 12 अदद जिन्दा कारतूस, 01 अदद लोहे की तलवार, 02 अदद खुखरी के साथ किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री शशि शेखर सिंह*** के मार्गदर्शन में व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री ब्रजेश सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण मे अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली खलीलाबाद में गठित टीम द्वारा मु0अ0स0 434/2024 धारा 147/148/149/323/506/302/307/34 भा0द0वि0 में वांछित अभियुक्तगण नाम पता 1. गोरखनाथ यादव पुत्र स्व0 रुदल यादव 2. शेषनाथ यादव पुत्र स्व0 रुदल यादव निवासीगण महुई थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर को 01 अदद तमंचा .315 बोर, खोखा

कारतूस 18 अदद, 12 अदद जिन्दा कारतूस, 01 अदद लोहे की तलवार, 02 अदद खुखरी के साथ मिश्रौलिया मोड़ के पास से गिरफ्तार करते हुए अभियुक्त उपरोक्त से बरामद अवैध तमंचा, कारतूस, चाकू व तलवार के सम्बन्ध में अभियोग उपरोक्त में धारा 3/4/25/27 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि दिनांक 08.06.2024 को थाना कोतवाली खलीलाबाद अन्तर्गत ग्राम महुई में नाली के लेकर विवाद हुआ था,उसी दौरान अभियुक्त उपरोक्त द्वारा योजना बद्ध तरीके से एक राय होकर वादिनी श्रीमती सुमन यादव पत्नी धर्मेन्द्र यादव साकिन महुई के पति धर्मेंद्र यादव को गोली मार दी जिनको जिला अस्पताल लाया गया जहाँ चिकित्सकों द्वारा उन्हे मृत घोषित कर दिया गया। थाना कोतवाली खलीलाबाद पर प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया। अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए उक्त घटना में वांछित 02 अभियुक्तों को आज दिनांक 09.06.2024 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

बरामदगी का विवरण-

01 अदद तमंचा .315 बोर, 18 अदद खोखा कारतूस, 12 अदद जिन्दा कारतूस, 01 अदद लोहे की तलवार, 02 अदद खुखरी।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद श्री रामकृपाल सिंह, व0उ0नि0 श्री राजेश दूबे, उ0नि0 श्री मनीष कुमार जायसवाल, हे0का0 धर्मेन्द्र कुमार, का0 अर्जुन पाल।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गैर इरादतन हत्या के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के मार्गदर्शन मे जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री राघवेन्द्र सिंह राठौर*** के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मेंहदावल ***श्री रामकृष्ण मिश्र*** के नेतृत्व मे गठित टीम द्वारा आज दिनॉक 26.02.2024 को मु0अ0सं0 145/2024 धारा 304 भा0द0वि0 मे वांछित अभियुक्त गंगू पुत्र रामवृक्ष निवासी गगनईराव थाना मेंहदावल जनपद संतकबीनगर को मेहदावल ब्लाक के दीवाल के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

गंगू पुत्र रामवृक्ष निवासी गगनईराव थाना मेंहदावल जनपद संतकबीनगर।

***पंजीकृत अभियोग* –**

1- मु0अ0सं0 145/2024 धारा 304 भादवि।

विवरणः- प्रतिवादी द्वारा दिनांक 09.06.2024 को थाना मेंहदावल क्षेत्रांतर्गत ग्राम गगनईराव में गंगू निषाद द्वारा अपने पिता रामवृक्ष निषाद पुत्र जोखू निषाद उम्र करीब 75 वर्ष से खैनी मांगने पर न देने के बात को लेकर कहासुनी के दौरान गला पकड़ कर धकेल दिया गया जिससे वे अचेत होकर गिर गए जिसके उपरान्त दवा इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गयी। थाना मेंहदावल पर प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करते हुए प्रकरण की गंभीरकता दृष्टिगत थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए उक्त अभियुक्त को आज दिनांक 09.06.2024 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 दशरथ, हे0कां0 बदरे आलम, कां0 अंकेश यादव।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले मे वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद में ***मिशन शक्ति अभियान*** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अजय सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना धनघटा पुलिस* द्वारा** मु0अ0सं0 270/2024 धारा 363/366/376(3)/506 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट के मामले मे वांछित अभियुक्त प्रदीप पुत्र प्रेमचंद यादव ग्राम रामपुर दक्षिण टोला मदरहिया थाना धनघटा जनपद संत कबीर नगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त, वादी की नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था, जिसके संबंध में वादी द्वारा थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना धनघटा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर आज दिनांक 09.06.2024 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 प्रमोद कुमार नायक, का0 अजय कुमार, का0 अजय कुमार